500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५00 रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

TRUST DEED

THIS TRUST DEED is made and executed on 17th day of May 2006 by **U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited** (hereinafter referred to as UPRVUNL) having its Registered Office at 4-B, Gokhley Marg, Lucknow through its Managing Director, **Shri A.K.Awasthi** a Company incorporated under the Companies Act 1956 having limited liability.

38.0 COST OF ADMINISTERING THE FUND

The costs, charges, Bank charges and expenses of administering the Fund including the inspection charges payable to the Statutory Authority and of the determination of any question arising under these Rules or otherwise, including all expenses incurred by Trustees in the discharge of their duties, shall be paid by the Corporation.

Provided further that if Trust is unable to earn the interest as was required to be credited to the subscriber account then the deficit in this head shall be borne by the Corporation.

CHAPTER 5
(ADVANCES FROM THE FUND)

39.0 ADVANCES FROM THE FUND

1) The appropriate sanctioning authority may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding in amount three month's pay or half the amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the subscribe in the Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes: -

(a) to pay expenses in connection with the illness, confinement or a disability, including where necessary, the traveling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

(b) to meet the cost of higher education, including where necessary, the traveling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him in the following cases, namely: -

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage and;

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialized course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is not less than three years;

(c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;

(d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Corporation source;

(e) to meet the cost of the subscriber's defence where he engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part;

(f) to purchase consumer durable such as TV, VCR/VCP, Washing Machines, Cooking Range, Geysers and Computers.

(1-A) The Board of Trustees may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in sub rule(1).

(2) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in sub-rule(1) or until repayment of the last instalment of any previous advance:
Provided that an advance shall in no cases exceed the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund.

(3) When an advance is sanctioned under sub-rule(2) before repayment of last instalment of any previous advance is completed, the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

(4) After sanctioning the advance, the amount shall be drawn on an authorization from the Secretary in case where the application for final payment had been forwarded to the Secretary under Clause (ii) of sub-rule (3) of Rule 50.

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
9th Floor, Shakti Bhawan Extn., Room No. 928
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
9वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, कक्ष संख्या – 928,
14- अशोक मार्ग, लखनऊ -- 226 001

UPRVUNL

पत्रांक : सचिव/उनिलि/सी0 पी0 एफ0 ट्रस्ट/755 दिनांक : अगस्त, 02, 2008

मुख्य महाप्रबन्धक/उपमहा प्रबन्धक(वित्त)/उपमुख्य लेखाअधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (एच0ओ0पी0डी0)
अनपरा 'ए' एवं 'बी'/ओबरा 'ए', 'बी' एवं एच0ओ0पी0डी0/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज
तापीय परियोजनायें एवं कैश प्रबन्धन इकाई (मुख्यालय)
सोनभद्र/झांसी/कानपुर/अलीगढ़/लखनऊ

विषय :– अंशदायी भविष्य निधि से सम्बन्धित अग्रिमों/निष्कासनों एवं माँग पत्र सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञापों/प्रारूपों का निर्गतन ।

महोदय,

विषयांकित अंशदायी भविष्य निधि के क्रियाकलापों में पूरे निगम स्तर पर समरूपता रखने के उद्देश्य से विशिष्ट प्रारूप निधारित किये गये है। दिनांक 01–04–2004 से लागू अंशदायी भविष्य निधि नियमावली–2004 के नियम– 39 में वर्णित उद्देश्यों हेतु **अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र** कार्मिक द्वारा प्रारूप–1 पर जिसके अधीनस्थ कार्मिक के अधिष्ठान का रख–रखाव किया जाता है के इकाई प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा एवं सम्बन्धित इकाई प्रमुख द्वारा संस्तुति उपरान्त स्वीकृति सम्बन्धित कार्यालय–ज्ञाप प्रारूप 2 पर जारी किया जाएगा। जिसकी एक प्रति सम्बन्धित इकाई के आहरण वितरण अधिकारी को अग्रेतर कार्यावाही हेतु पृष्ठांकित की जायेगी। इसी प्रकार अग्रेतर निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने पर अंशदायी भविष्य निधि से अंतिम निष्कासन नियम सं0 42 में वर्णित उद्देश्यों हेतु नियम सं0 43 में वर्णित शर्तों के अधीन निष्कासन के लिए कार्मिक द्वारा आवेदन पत्र उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रारूप–3 पर इकाई प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसकी स्वीकृति सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप प्रारूप–4 पर सम्बन्धित इकाई प्रमुख द्वारा जारी किया जाएगा, जिसकी एक प्रति इकाई के आहरण एवं वितरण इकाई को अग्रेतर कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित की जाएगी (सम्बन्धित प्रारूप संलग्न है) । **यहाँ विशेष ध्यान रखा जाना है कि अग्रिम/निष्कासन केवल अभिदाता अंश से ही स्वीकृत किया जा सकता है, नियोजक अंश से नहीं।**

अंशदायी भविष्य निधि से स्वीकृत किये गये अग्रिमों/अन्तिम निष्कासनों के धन निर्गमन हेतु माँग–पत्र संलग्न प्रारूप 5 पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जाएगा जिसके सापेक्ष ट्रस्ट द्वारा सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को धन अगले माह के प्रथम सप्ताह में प्रेषित किया जाएगा। प्रारूप 5 में सूचना भेजते समय सम्बन्धित स्वीकृति आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करना अनिवार्य होगा। अंशदायी भविष्य निधि के अन्तर्गत अग्रिम स्वीकृत करने के लिए सम्बन्धित इकाई प्रमुखों जिनके अधीनस्थ अभिदाता के अधिष्ठान का रख–रखाव होता है, अग्रिम स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकृत अधिकारी होगें।

कृपया उपरोक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु इसकी प्रतियॉ सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एच0के0 अग्रवाल) 2/8/08
सचिव (सी0 पी0 एफ0 ट्रस्ट)

संलग्नक : यथा उपरोक्त

Received 11 copy for Parichha Project
Copy Recd.
13/8/08
(Rajendra Kumar) DA
HTPS Kasimpur

30Ravi/HQ PAD NC-1

अशंदायी भविष्य निधि नियमावली के नियम ३९ के अन्तर्गत अस्थाई अग्रिम के लिए प्रार्थना–पत्र

(1) अभिदाता का नाम :

(2) खाता संख्या : UPRVUNL/CPF No.-

(3) पद का नाम :

(4) वेतनमान :

(5) प्रार्थना–पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खातें में जमा अभिदाता के अंश की धनराशि का विवरण :–

(क). वर्ष .लेखा पर्ची (एकाउन्ट स्लिप) के अनुसार अभिदाता द्वारा जमा धनराशि रू0.....

(ख) माह से माह तक अभिदाता द्वारा जमा धनराशि रू0.....

(ग) अग्रिम की वापसी (रिफण्ड) द्वारा जमा धनराशि रू0 .....

(घ) कुल जमा धनराशि (क + ख + ग) रू0 .....

(च) निष्कासित धनराशि का विवरण :–

(1) अन्तिम निष्कासन : :माह/वर्ष से माह/वर्ष तक रू0 .....

(2) अस्थायी अग्रिम : :माह/वर्ष से माह/वर्ष तक रू0 .....

(3) कुल निष्कासन : (1 + 2) रू0 .....

(छ) शुद्व जमा धनराशि :– : (घ – च 3) रू0 .....

(6) पूर्ववर्ती अग्रिम यदि शेष हो, तो शेष धनराशि और उस अग्रिम का प्रयोजन रू0.....

.....

(7) अब मागें जा रहे अग्रिम की धनराशि : रू0 .....

(8) (क) इस अग्रिम का प्रयोजन : .....

(ख) जिस नियमानुसार अनुमन्य है उसका संदर्भ : .....

(9) समेकित अग्रिम की धनराशि (मद 6 + 7) रू0 .....

तथा जितनी मासिक किश्तों में अपेक्षित अग्रिम की अदायगी की जानी है माह.....रू0.....(प्रति किश्त)

(10) अभिदाता की आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण जिससे प्रार्थना–पत्र का औचित्य सिद्व हो सके :.....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक : / /200

नाम :.....

पदनाम : .....

अनुभाग/कार्यालय : .....

सी0 पी0 एफ0 प्रारूप–2

कार्यालय का नाम व पता

संख्या :...../ / दिनांक

कार्यालय–ज्ञाप

(अंशदायी भविष्य निधि नियमावली के नियम ३९ के अन्तर्गत जारी स्वीकृति आदेश)

एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी .....
को उनके अंशदायी भविष्य निधि खाता संख्या UPRVUNL/CPF/- .....
में उपलब्ध अभिदाता अंश से ..... प्रयोजन के लिये व्यय की व्यवस्था करने हेतु रूपये .....(शब्दों में) .....
के अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. अग्रिम स्वीकृत रूपये .....(शब्दों में) रूपया.....
की दर से ..... मासिक किश्तों में वसूल किया जायेगा जिसकी पहली किश्त (माह) .....
के वेतन जो (माह) ..... में देय होगा, से प्रारम्भ होगी ।

3. कार्यालय–ज्ञाप संख्या .....दिनांक .....के द्वारा पूर्व में स्वीकृत तथा भुगतान किए गए रूपये .....के अग्रिम में से रूपये.....
की वसूली अभी तक बाकी है । यह धनराशि और अब स्वीकृत किये गये अग्रिम की धनराशि जिसका कुल योग रूपये .....(शब्दों में) रूपया.....
होता है, की वसूली रूपये .....की मासिक किश्तों में तथा शेष रूपये .....
की ..... कुल किश्तों में की जायेगी, जिसकी पहली किश्त (माह) .....
के वेतन जो माह ..... में देय होगा, से प्रारम्भ होगी ।

स्वीकृतिकर्ता अधिकारी

संख्या : / / तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, (सी0 पी0 एफ0 ट्रस्ट) कमरा नं0 928, 9वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप से सम्बन्धित धनराशि रू0 .....सम्बन्धित इकाई.....
को निर्गत कराने का कष्ट करें ।
2. श्री ..... को उनका ध्यान समय–समय पर जारी आदेशों की ओर आकृष्ट कराते हुए जिनके अनुसार उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वीकृत धन का उपयोग उन्होंने उसी प्रयोजन के लिये किया है, जिसके लिये यह निकाला गया है। अतः निष्कासन की धनराशि प्रदान करने के 06 महीने के भीतर इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उपरोक्त स्वीकृत अग्रिम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया गया है जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया था ।
3. अधिष्ठान
4. व्यक्तिगत पत्रावली ।

स्वीकृतिकर्ता अधिकारी